

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./181/2008/1195

भोपाल,दिनांक: 23/08/08


आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क.	वरिष्ठ अध्यापक का नाम एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती जयश्री शुक्ला वरि.अध्यापक (राजनीति) शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. पन्धाना जिला खण्डवा	नगर पंचायत पन्धाना जिला खण्डवा जा.क्र.630 दि.11.7.08	जिला पंचायत इन्दौर जिला इन्दौर जा.क्र.5612 दि.10.07.08 1.शा.उ.मा.वि.चौरल
2	श्रीमती नीतू गुप्ता, वरि.अध्यापक, (अर्थशास्त्र) शा.उ.मा.वि.बुडवा जिला शहडोल	जिला पंचायत शहडोल जिला शहडोल जा.क्र.5017 दि.31.07.08	नगर पालिका परिषद सीधी जिला सीधी जा.क्र.2669 दि.06.08.08 1.शा.कन्या उ.मा.वि.सीधी
3	श्रीमती आशारानी सिंह, वरि. अध्यापक (इतिहास) शा.उ.मा.वि. छिबौरा जिला सतना	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.44 दि.15.7.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.145 दि. 18.07.08 1.शा.उ.मा.वि.महसांव
4	कु. कामना सिंह, वरि.अध्यापक (रसायन) शा.उ.मा.वि.छिबौरा जिला सतना	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.45 दि.15.07.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.146 दि.18.07.08 1.शा.उ.मा.वि.खौरकोठी 2.शा.उ.मा.वि.महसांव
5	श्रीमती नीतू श्रीवास्वत, वरि. अध्यापक (अंग्रेजी) शा.उ.मा.वि. पनबाड़ी जिला शाजापुर	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.4224 दि.04.8.08	जिला पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र.5964 दि.07.08.08 1.शा.उ.मा.वि.घोंसला

संविलियन की शर्तें :-


1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।



...2...

2. तालिका-1 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों में रिक्त पद विषयमान से उल्लेखित शाला में पद सीधी भर्ती का रिक्त होने की पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन/संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


23/8/08

उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक: 23/08/08


पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./181/2008//196

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।



6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....
.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।


उप संचालक,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
28/8/08

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./168/2008/1179

भोपाल,दिनांक: 21/8/08

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1.	श्रीमती सारिका शर्मा (पाठक) अध्यापक, शा.मा.शा.हतनापुर जिला होशंगाबाद	जनपद पंचायत सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद जा.क्र. 940 दि. 14.07.08	जनपद पंचायत नसरुल्लागंज जिला सीहोर जा.क्र. 1746 दि. 15.07.08 1. शा.उ.मा.वि.सतना 2. शा.हाईस्कूल राला 3. शा.हाईस्कूल छिंदगौव मोजी
2.	श्री हेमराज साहू (विकलांग) अध्यापक, शा.नवीन माध्यमिक शाला छुरीखाल जिला हरदा	जनपद पंचायत खिरकिया जिला हरदा जा.क्र. 205 दि. 02.07.08	जिला पंचायत होशंगाबाद जिला होशंगाबाद जा.क्र. 5042 दि. 08.07.08 1. शा.मा.वि.मेहरागौव
3.	श्रीमती नीलम भार्गव, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा.रतुआ रतनपुर बैरसिया जिला भोपाल	जनपद पंचायत बैरसिया जिला भोपाल जा.क्र. 4015 दि. 15.07.08	जनपद पंचायत सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद जा.क्र. 954 दि. 15.07.08 1. शा.प्रा.शा.गाजनपुर 2. शा.प्रा.शा.बसनियाकलौ 3. शा.प्रा.शा.भमेडी
4.	डॉ.श्रीमती मधुसिंह परिहार, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.वि. प्रतापगंज जिला राजगढ़	नगर पंचायत राजगढ़ जिला राजगढ़ जा.क्र. 1065 दि. 05.07.08	नगर पालिका निगम सतना जिला सतना जा.क्र. 308 दि. 03.07.08 1. शा.मा.वि.विडला 2. शा.प्रा.शा.धूरडाग
5.	श्रीमती तनुजा शर्मा, अध्यापक, शा. मा.शा.नेमुवा जिला सतना	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र. क्यू 4 दि. 17.07.08	नगर पालिका निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र. 3226 दि. 11.07.08 1. शा.मा.वि.अन्नतपुर रीवा

	1	2	3
6.	श्रीमती सरिता स्वामी, अध्यापक, शा.हाईस्कूल कटगी जिला कटनी	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क. 2715 दि. 18.07.08	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क. 6923 दि. 16.07.08 1. शा.हाईस्कूल बिलपुरा
7.	श्रीमती स्मृति श्रीवास्तव, अध्यापक, शा.क.मा.शा.बायां जिला सीहोर	जिला पंचायत सीहोर जा.क. 5153 दि. 17.07.08	जनपद पंचायत पाटन जिला जबलपुर जा.क. 725 दि. 17.07.08 1. शा.मा.शा.सकरा
8	श्रीमती हेमन्ती खलखो, अध्यापक, शा.नवीन मा.शा.देवतलाब जिला हरदा	जनपद पंचायत हरदा जिला हरदा जा.क. 1661 दि. 18.07.08	जिला पंचायत होशंगाबाद जिला होशंगाबाद जा.क. 5618 दि. 31.07.08 1. शा.मा.शा.तालनगरी
9	श्रीमती गीता शाक्य, अध्यापक, शा. उ.मा.वि.बीकर जिला दतिया	जिला पंचायत दतिया जा.क. 1360 दि. 04.06.07	जिला पंचायत ग्वालियर जा.क. 8670 दि. 22.07.08 1. शा.हाईस्कूल बेरजा
10	श्रीमती नजिमा नाज,सहायक अध्यापक, शा.पूर्व मा.धनसेर जिला सीधी	जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी जा.क. 1582 दि. 15.07.08	जनपद पंचायत सिरगौर जिला सीधी जा.क. 1298 दि. 18.07.08 1.शा.उ.मा.वि.हरदी कपसा
11	श्रीमती नीति ध्यानी, अध्यापक, शा. न.मा.शा.अर्थखेड़ा जिला दमोह	जनपद पंचायत दमोह जा.क. 4810 दि. 10.07.08	जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर जा.क. 1265 दि. 14.07.08 1. शा.हाईस्कूल सुरतलाई
12	श्रीमती लालबी मन्सूरी, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा. परसेल जिला कटनी.	जनपद पंचायत डीमरखेड़ा जिला कटनी, जा.क.955 निरंक 16.07.08	जनपद पंचायत पाटन जिला जबलपुर जा.क. 766 दि. 24.07.08 1. शा.प्रा.शा.तमोरिया


संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।



7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मी का अध्यापक संवर्ग में संविलियन/संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


21/8/08


उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पुष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./168/2008/1180 भोपाल,दिनांक: 21/8/08

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएँ । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।


21/8/08

उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./181 बी/2008/1183 भोपाल,दिनांक: 21/12/10


आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत् शाला का नाम	कार्यरत् निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1.	श्रीमती ममता जायसवाल, अध्यापक, शा.मा.वि.बासाम्बार जिला रायसेन	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र. 3118 दि. 18.07.08	जिला पंचायत छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा जा.क्र.2451 दि.08.08.08 1.शा.मा.शा.परतला
2.	श्रीमती अनिता ठाकुर, सहायक अध्यापक, शा.मा.शा.सोठिया विदिशा जिला विदिशा	जनपद पंचायत विदिशा जिला विदिशा जा.क्र. 1734 दि. निरंक	जनपद पंचायत इन्दौर जिला इन्दौर जा.क्र.2112 दि. 12.07.08 1. शा.मा.शा.बडियराकामा

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत् है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।



7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मी का अध्यापक संवर्ग में संविलियन/संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है । अतः उक्त संविलियन का कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/आयक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”



उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./181 वी/2008/


1/189

भोपाल, दिनांक:

21/8/08

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी, एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।



उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./180/2008/117/
आदेश

भोपाल, दिनांक: 21/08/08

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत् शाला का नाम	कार्यरत् निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती मीना चतुर्वेदी, अध्यापक, शा. उ.मा.वि.स्लीमनाबाद जिला कटनी	जिला पंचायत कटनी, जिला कटनी जा.क.2732 दि.21.07.08	जिला पंचायत जबलपुर, जिला जबलपुर जा.क. 2456 दि. 07.08.08 1. शा.हाईस्कूल धुंसौर,
2	श्रीमती अमिता द्विवेदी, अध्यापक, शा. मा.शा.कतकोन खुर्द, नागौद जिला सतना	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क. 760 दि. 06.8.08	नगर निगम जबलपुर जिला जबलपुर जा.क.151 दि.08.08.08 1. शा.मा.शा.कजरवार
3.	श्रीमती रजनी मुखरैया, अध्यापक, शा. मा.वि.चौपरा जिला दतिया	जनपद पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क. 891 दि.21.7.08	नगर पालिका निगम देवास जिला देवास जा.क. 4417 दि.06.08.08 1.शा.मा.वि.ईटावा
4.	श्रीमती नीतू गौतम, अध्यापक, शा.पूर्व मा.शा.देवराकलौ जिला कटनी	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क.2686 दि.16.7.08	नगर निगम जबलपुर जिला जबलपुर जा.क.142 दि.06.08.08 1.शा.हाईस्कूल टेमरीभीटा
5.	श्रीमती अर्चना धुर्वे, अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.पिपरिया जिला शहडोल	जनपद पंचायत सोहागपुर जिला शहडोल जा.क. 1646 दि.22.7.08	जनपद पंचायत दमोह जिला दमोह जा.क.4747 दि.04.07.08 1.शा.मा.वि.बलारपुर
6.	श्री रामसुजान पाठक (विकलांग) अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.कलोथरा जिला शिवपुरी	जनपद पंचायत शिवपुरी जिला शिवपुरी जा.क.1710 दि.28.7.08	जनपद पंचायत जवा जिला रीवा जा.क.214 दि.02.08.08 1.शा.नवीन हाईस्कूल घाँदी 2.शा.मा.वि.केचुहर 3.शा.मा.वि.खारा
7.	श्रीमती रेखा मेवाड़ा अध्यापक, शा. मा.वि.गिराना जिला शाजापुर	जिलापंचायत शाजापुर जा.क.3873 दि.17.07.08	जनपद पंचायत देवास जिला देवास जा.क.4218 दि.07.08.08 1.शा.मा.वि.नगोरा 2.शा.मा.वि.हवनखेड़ी

	1	2	3
8.	श्रीमती कमलेश नामदेव, अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.चुबाही जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क.8515 दि.30.7.08	जिला पंचायत उमरिया जिला उमरिया जा.क. निरंक दि.01.08.08 1.पूर्व मा.वि.छाप
9.	श्रीमती सरोज साकेत, अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.बुढवा जिला रीवा	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क.172 दि.29.7.08	नगर निगम जबलपुर जिला जबलपुर जा.क.140 दि.06.08.08 1.शा.हाईस्कूल टेमरभीटा
10.	श्रीमती संगीता गुप्ता, अध्यापक, शा. मा.वि.जिगिनिया जिला दतिया	जनपद पंचायत सेवढा जिला दतिया जा.क.1161 दि.15.7.08	जनपद पंचायत खनियाघाना जिला शिवपुरी जा.क. 1178 दि.16.07.08 1.शा.मा.वि.मनगुली 2.शा.मा.वि.गजौरा

संविलियन की शर्त :-


1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन/सविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त सविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।





11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"



21/08/08

उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./180/2008//72 भोपाल,दिनांक: 21/08/08
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।


21/08/08

उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./181/2008/1169

भोपाल,दिनांक: 20/08/08

आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक-2 तथा तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती भावना साहू, अध्यापक, शा.मा. वि.सिन्दूरी भरी जिला शहडोल	जिला पंचायत शहडोल, जिला शहडोल जा.क्र. 3826 दि.08.7.08	नगर पालिका निगम रीवा जिला रीवा जा.क्र. 3174 दि.07.07.08 1.मार्तण्ड उ.मा.वि.क्र.2
2	श्रीमती मधुवाला बर्डे, अध्यापक, शा. मा.शा.इमलीखेड़ा जिला सीहोर	जनपद पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र.1924 दि.10.7.08	जनपद पंचायत कसरावद जिला खरगोन जा.क्र. 1144 दि. 06.08.08 1.शा.मा.वि.साबडा 2.शा.मा.वि.गुजारी
3	श्रीमती जुबैदा खॉन अध्यापक, शा. नवीन मा.वि.अमोच जिला कटनी	जनपद पंचायत बहोरीबंद जिला कटनी जा.क्र.393 दि.30.7.08	नगर निगम जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.143 दि. 06.08.08 1.शा.नवीन मा.शा.कटियाघाट
4	श्रीमती बबीता पुरोहित, अध्यापक, शा. मा.वि.कन्या सोखनी जिला ग्वालियर	जनपद पंचायत मिलखार जिला ग्वालियर जा.क्र.969 दि.15.07.08	नगर पालिका दतिया जिला दतिया जा.क्र.848 दि.15.7.08 1.शा.मा.वि.क्र.2 दतिया
5	श्रीमती अनीता तोमर, अध्यापक, शा.पूर्व मा.शा.काजन जिला सीधी	जनपद पंचायत बैढन जिला सीधी जा.क्र.1741 दि.28.5.08	जनपद पंचायत डबरा जिला ग्वालियर जा.क्र.1793 दि.07.08.08 1.शा.मा.वि.टेकनपुर
6	श्रीमती उषा वर्मा, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.वि.सोजावास जिला नीमच	जनपद पंचायत मनासा जिला नीमच जा.क्र.5002 दि.19.6.08	जनपद पंचायत मल्हारगढ़ जिला मंदसौर जा.क्र.1810 दि.26.06.08 1.शा.प्रा.वि.पहेडा

	1	2	3
7.	श्रीमती रजनी शर्मा, सहायक अध्यापक, शा.मा.वि.खिरहानी जिला कटनी	नगर पालिका निगम कटनी जिला कटनी जा.क.4792 दि.25.7.08	जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क.3033 दि. 29.07.08 1.शा.प्रा.वि.गुठीना
8.	श्रीमती. रीता सिंह, अध्यापक, शा. मा.क.शा.बिहरा क.1 जिला सतना	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क.558 दि.23.07.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क.167 दि.26.07.08 1.शा.मा.शा.जलदर

संविलियन की शर्तें :-


1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन/संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


उप संचालक,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश..

पृष्ठा.क./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./181/2008/1170 भोपाल,दिनांक: 20/08/08
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।


उप संचालक,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./176/2008/1167

भोपाल, दिनांक 20/08/08

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-


क.	शिक्षाकर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किए जाने वाले निकाय एवं शाला के नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती द्वेदी चटकेले, सहयाक अध्यापक, शा.प्रा.वि.आमौरा जिला खण्डवा	जनपद पंचायत खंडवा, जिला खंडवा जा.क. 1907 दि.19.7.08	जनपद पंचायत देवास जिला देवास जा.क. 3091 दि. 28.07.08 1.शा.प्रा.वि.सियापुरा
2	श्रीमती ऊषा पलिया, अध्यापक, शा.उ.मा.वि.भैसवाही जिला कटनी	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क.2821 दि.25.7.08	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क. 7489 दि.05.07.08 1.शा.हाईस्कूल रिठौरी
3.	श्रीमती स्वपनिल श्रीवास्तव, अध्यापक, शा.हाईस्कूल लखनवाड़ा जिला सिवनी	जनपद पंचायत सिवनी जिला सिवनी जा.क.257 दि.30.7.08	जनपद पंचायत इन्दौर जिला इन्दौर जा.क.2225 दि.21.07.08
4.	श्रीमती सोनुला श्रीवास्तव, अध्यापक, शा.मा.शा.बिछुआ जागरी जिला रायसेन	जनपद पंचायत बेगमगंज जिला रायसेन जा.क.850 दि. 17.7.08	जनपद पंचायत पथरिया जिला दमोह जा.क.29 दि.29.07.08 शा. न. मावि नरसिंहगढ़
5	श्रीमती शशि द्विवेदी, अध्यापक, शा.मा.वि.सिमरा जिला शहडोल	जिला पंचायत शहडोल जिला शहडोल जा.क.4003 दि. 21.7.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क.171 दि. 26.07.08 1.शा.हाईस्कूल खोर कोठी
6	श्रीमती दर्शना खैरुरिया, अध्यापक, शा.नवीन मा.शा.मरामाधी जिला सागर	जिला पंचायत सागर जिला सागर जा.क. 38 दि.26.07.08	नगर पालिका करेली जिला नरसिंहपुर जा.क.1068 दि.30.07.08 1. शा.मा.शा.करेली

निरन्तर 2/

7	श्री सतीश पलाश्या, (विकलांग) अध्यापक, शा.मा.वि.खेड़ावद जिला शाजापुर	जिला पंचायत शाजापुर जा.क.3875दि.17.07.08	जिला पंचायत देवास जिला देवास जा.क.1688 दि. 17.07.08 1. शा.मा.वि.कन्नौद 2.शा.बा.मा.वि.कन्नौद क.1
8	गोविन्द सिंह मीना, (विकलांग) सहायक अध्यापक, शा.प्रा.वि.बामनपुरा जिला राजगढ़	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ जा.क.3177दि. 18.7.08	जनपद पंचायत चाचौड़ा जिला गुना जा.क.792 दि.05.08.08 1.शा.प्रा.वि.देवपुरा
9	श्रीमती रचना दीक्षित, अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.बरहाटोला बघवार जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क.8631 दि.02.8.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क. 180 दि. 05.08.08 1. शा.हाईस्कूल अगडाल

संविलियन की शर्तें -


1. यह अनुमति तालिका क कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उरसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी ।





11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20/8/08

पृष्ठा. क्र०/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./176/2008/1168
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं । उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक/अध्या.संवर्ग/डी/संवि./171/2008/1165 भोपाल,दिनांक: 19/8/8
आदेश

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क. एफ-1/49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08.11.05 एवं 21.12.05 के अनुक्रम में महिला तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका कमांक-1 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका कमांक-2 तथा तालिका कमांक-3 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका कमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क.	अध्यापक का नाम (अध्यापक/सहायक अध्यापक) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक कमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक कमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती गीतांजली पाटकर, अध्यापक, शा.मा.श.अल्ली जिला रायसेन	जनपद पंचायत सांची जिला रायसेन जा.क.2028 दि. 18.07.08	जनपद पंचायत पिपरिया जिला होशंगाबाद जा.क. 1710 दि. 17.07.08 1. शा. मावि मुरारी, महतवाड़ा झील पीपरिया
2	श्रीमती सुषमा चौरसिया, अध्यापक, शा.मा.वि.टाण्डीखुर्द जिला राजगढ़	जिला पंचायत राजगढ़ जा.क. 5040 दि. 18.07.08	जिला पंचायत गुना जिला गुना जा.क. 2138 दि. 24.07.08 1. शा.मा.वि.ऊमरी 2. शा.मा.वि.खूजा 3. शा.हाईस्कूल मावन
3	श्रीमती रश्मि राय, सहायक अध्यापक, शा.हाईस्कूल बाग पिपरिया जिला रायसेन	जनपद पंचायत बरेली जिला रायसेन जा.क. 1123 दि. 16.07.08	नगर पंचायत बण्डा जिला सागर जा.क. 990 दि. 09.07.08 1. न.बा.मा.शा.बण्डा
4	श्रीमती अंजुलता श्रीवास्तव, अध्यापक, शा.नवीन हाईस्कूल टेमागाँव, जिला हरदा	जिला पंचायत हरदा जिला हरदा जा.क 4226 दि. 17.07.08	जिला पंचायत विदिशा जा.क. 1881 दि. 28.07.08 1. शा.हाईस्कूल कागपुर
5	श्रीमती इन्द्रा विजयवर्गीय, सहायक अध्यापक, शा.कन्या प्रा.वि.जमोन्या जिला राजगढ़	जनपद पंचायत खिलचीपुर जिला राजगढ़ जा.क. 2031 दि. 17.07.08	जनपद पंचायत बैरसिया जिला भोपाल जा.क. 4096 दि. 17.07.08 1. शा.प्रा.शा.हिनौतीसड़क
6	श्रीमती ममता पाण्डेय, अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.जोगिनी सिंगरौली जिला-सीधी	जिला पंचायत सीधी जा.क. 7989 दि. 16.07.08	जनपद पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क. 311 दि. 11.07.08 1. शा.हाईस्कूल खौरकोठी

7	श्रीमती वैशाली दुफारे, अध्यापक, शा.उ.मा.वि.राजना जिला छिन्दवाड़ा	जिला पंचायत छिंदवाड़ा जा.क. 458 दि. 06.06.08	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क. 5046 दि. 11.07.08 1. शा.हाईस्कूल झरखेड़ा 2. शा.हाईस्कूल श्यामपुर कन्या
8	श्रीमती रजनी शर्मा, सहायक अध्यापक, शा.बा.प्रा.शा.सुखतवा जिला होशंगाबाद	जनपद पंचायत केसला जिला होशंगाबाद जा.क. 1911 दि. 17.07.08	जनपद पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क. 1792 दि. 18.07.08 1. शा.प्रा.वि.अजराना
9	श्रीमती रंजना सिंह, अध्यापक, शा. पूर्व मा.वि.लेहेचुआ जिला सीधी	जनपद पंचायत रामपुर नैकिन जिला सीधी जा.क. 1097 दि. 05.07.08	नगर निगम रीवा जिला रीवा जा.क. 3189 दि. 08.07.08 1. शा.कन्या उमावि पाण्डेन टोला
10.	श्रीमती सुषमा पटेल, अध्यापक, शा. पूर्व मा.वि.तितिरा बघेलान जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जा.क. 7849 दि. 14.07.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क. 1147 दि. 10.07.08 1. शा.मा.वि.चोरगडी
11.	कु. हेमलता सिंह, अध्यापक, शा. कन्या हाई.कुसमी जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जा.क. 2130 दि. 18.07.08	जनपद पंचायत मऊगंज जिला रीवा जा.क. 237 दि. 25.07.08 1. नवीन पूर्व मा.वि.पहाड़ी निरपतसिंह
12.	श्रीमती सुरभी गुप्ता, अध्यापक, शा. मा.शा.कुड़याला जिला टीकमगढ़	जनपद पंचायत पलेरा जिला टीकमगढ़ जा.क. 149 दि. 14.07.08	जनपद पंचायत नौगाँव जिला छतरपुर जा.क. 1625 दि. 19.07.08 1. शा.हाईस्कूल कैथोकर हरपालपुर
13.	श्रीमती ललिता सिंह अध्यापक, शा. कन्या उ.मा.वि.तालामझोली जिला सीधी	जिला पंचायत सीधी जा.क. 7937 दि. 16.07.08	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क. 484 दि. 18.07.08 1. शा.मा.वि.खैरा 2. शा.हाईस्कूल.भाजीखेरा 3. शा.हाईस्कूल.डाम्हा
14	श्रीमती अमिता शर्मा, सहायक अध्यापक, शा.मा.वि.उमरिया जिला नरसिंहपुर	जनपद पंचायत गोटगाँव जिला नरसिंहपुर जा.क. 308 दि. 17.07.08	जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क. 1854 दि. 09.07.08 1. शा.कन्या प्रा.वि.टिहोली
15	श्रीमती रेणी सरावगी, अध्यापक, शा.कन्या मा.वि.बड़गाँव जिला कटनी	जनपद पंचायत रीठी जिला कटनी जा.क. 438 दि. 15.07.08	जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर जा.क. 1311 दि. 17.07.08 1. शा.मा.शा.सिंगलद्वीप 2. शा.मा.शा.इमलिया
16	श्रीमती ललिता तिवारी, अध्यापक, शा.पूर्व मा.वि.धनहा देवसर जिला सिंगरौली	जिला पंचायत सीधी जा.क. 7904 दि. 15.07.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क. 142 दि. 18.07.08 1. शा.मा.शा.बरा रीवा

17	श्रीमती शालिनी वासनिक, अध्यापक, शा.उ.मा.वि.रायबासा जिला छिन्दवाड़ा	जिला पंचायत छिन्दवाड़ा जा.क. 462 दि. 06.06.08	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क. 5047 दि. 11.07.08 1. शा.हाईस्कूल.झरखेड़ा 2.शा.हाईस्कूल.श्यामपुर कन्या
18.	श्रीमती ममता विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक, शा.मा.शा.जोगला जिला सीहोर	जनपद पंचायत नसरुल्लागंज जिला सीहोर जा.क. 1218 दि. 29.05.08	जनपद पंचायत औबे -दुल्लगांज जिला रायसेन जा.क. 904 दि. 28.05.08 1. शा.मा.शा.सतलापुर 2. शा.मा.शा.तूमड़ाखेड़ा
19	श्रीमती रंजना उपाध्याय, सहायक अध्यापक, शा.मा.वि.छातरपुरा जिला देवस	जनपद पंचायत बागली जिला देवास जा.क. 1419 दि. 08.05.08	जनपद पंचायत घट्टिया जिला उज्जैन जा.क. 1616 दि. 23.07.08 1. शा.बा.प्रा.वि.नजरपुर
20	श्रीमती संतोष सिंह, अध्यापक, शा.उ.मा.वि.छीबौरा जिला सतना	जिला पंचायत सतना जा.क. 3850 दि. 24.07.08	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क. 158 28.07.08 1. शा.हाईस्कूल पैपखरा 2. शा.उ.मा.वि.गुडहर

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक-3 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिए मान्य होगी ।
2. तालिका-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक-3 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक-3 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात् ही तालिका क्रमांक-2 में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाये । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक,सहायक अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित (संविलियन) निकाय के अध्यापक, सहायक अध्यापक की वरिष्ठता कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन के प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन/संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की कार्यवाही की जाये ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

M
19/8/08

उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक:

19/8/08

पृष्ठा.क्र./अध्या.संवर्ग/डी/संवि./171/2008/ 1166

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म.प्र.भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.....मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा से कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध करायें। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक-1 में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।

M
19/8/08

उप संचालक,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश